

# न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राज0)

अपील संख्या:- 12/47/2024

रजू दिनांक: 13.03.2024

रजि0 न0 2024/78

अपीलार्थी:-

श्री वेद राठोड, 32 एन.डी.सदन, ज्योती  
नगर देहली रोड़ अलवर, जिला अलवर  
(राजस्थान)

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन नगर  
विकास न्यास अलवर, जिला अलवर  
(राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:- 15.04.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को तीन पृथक-पृथक आवेदन पत्र दिनांक: 16.01.2024 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावे।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 26.03.2024 को उपस्थित आवे।
4. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये पत्र क्रमांक यूआईटी/आर0टी0आई0/2024/13594 दिनांक 21.03.2024 प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 16.01.2024 को प्रस्तुत आवेदन पत्र में चाही गई सूचना देय नहीं है। जिसके संबंध में न्यास कार्यालय के पत्र क्रमांक 11571 दिनांक 21.01.2024 के द्वारा प्रार्थी को सूचित किया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन से स्पष्ट है कि वांछित सूचना के संबंध में विनिश्चय कर सूचना प्रेषित की जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य है।
6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकारी अधि0 2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें, निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को पालनार्थ भिजवाई जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 15.04.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।



(आशीष गुप्ता)  
जिला कलक्टर अलवर  
(राज0)